न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर, राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/36/2016	2016/00106	31.08.2016	23.05.2024

1. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री चन्द गुप्ता निवासी ए–661 शिवमार्ग, मालवीय नगर जयपुर राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1. आशोक कुमार पुत्र रमेश चन्द गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 13 खेडली,(दिगम्बर मंदिर के सामने) पुरानी अनाज मण्डी खेडली तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।
2. तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

–रैस्पाडैण्ट्स

राजस्व अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 08.02.2016 तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर अलवर नामांतकरण संख्या 2910 वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर रा0ज बाबात।

उपस्थितः–

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल –वकील अपीलान्ट
02. श्री अनिल गुप्ता –वकील रेस्पो0 सं0 1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर के आदेश दिनांक 08.02.2016 के इंतकाल संख्या 2910 वाके ग्राम सौखर तहसील कठूर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि आलोच्य आज्ञा अपीलान्ट की गैरजानकारी व गैरमौजूदगी में पारित की गई है। जिस कारण अपीलान्ट को पूर्व में आलोच्य आज्ञा की जानकारी नहीं हो सकी। इसलिए समयावधि में अपीलान्ट अपील पेश नही कर सका, जिसमें अपीलान्ट की कोई लापरवाही नही रही है। रैस्पाडैण्ट संख्या 1 श्री शांति स्वरूप पुत्र श्री श्रीचन्द गुप्ता का फर्जी व धोखाधडी से गोदनामा तैयार करा लिया था जिसकी जानकारी दिनांक 26.07.2016 को होने पर अपीलान्ट को अंदेशा हो गया था। कि रैस्पाडैण्ट संख्या 1 उसका दुरूपयोग कर श्री शांति स्वरूप की सम्पत्ति को अपने नाम ट्रांसफर कराने का प्रयास करेगा। जिस पर अपीलान्ट ने शांति रूवरूप जी की भूमि के रिकार्ड व अवलोकन कराया है। तो दिनांक 23.08.2016 को आलोच्य आज्ञा की जानकारी हुई, जिस पर उसी दिन नकल के लिए प्रार्थना–पत्र कर नकल प्राप्त की गई और वकील साहब दी गई जिस पर पर तारीख जानकारी से यह अपील बिना देरी के व अन्दर अवधि पेश की जा रही है अपील पेश करने मे जो देरी हुई है, वह उक्त कारण से हुई है जो कि नेकनियती वो युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिए जाने योग्य है, जिस हेतु प्रार्थना–पत्र दफा 05 मियाद कानून अलग पेश कि गई है। मृतक श्री शांति स्वरूप अपीलान्ट का भी भाई था जो कि निसंतान फौत गया । ऐसी अवस्था में उसकी सम्पत्ति में अपीलान्ट का भी हक व हित निहित है, और आलोच्य आज्ञा नामांतरकण से अपीलान्ट के हक हकूक प्रभावित होते है। इसलिए अपीलान्ट को अपील करना जरूरी हुआ है। चूंकि आलोच्य आज्ञा नामांतकरण की कार्यवाही में अपीलान्ट को शरीक नही किया गया था। इसलिए अपीलान्ट को अपील करने की इजाजत प्रदान किया जाना आवश्यक है, जिस हेतू प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 जाब्ता दीवानी अलग से पेश किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

आराजी खसरा नंबर 673 रकबा 0.42 हैक्टर वाके ग्राम सौंखर शांति स्वरूप पुत्र श्रीचन्द की खातेदारी की आराजी थी, जिसे उन्होने अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन करा ली थी, लेकिन रैस्पाडैण्ट संख्या एक ने श्री शांति स्वरूप का धोखाधडी से एक फर्जी गोदनामा तैयार करा लिया, और उक्त भूमि को वापिस कृषि उपयोग (रिवर्ट बैक) करने हेतू जिला कलक्टर अलवर में आवेदन किया, जिस पर दिनांक 03.09.2015 को भूमि रूपांतरण से पूर्व की स्थिति के तहत कृषि योग्य भूमि की किस्म के अनुसार रिवर्ट बैक करने की स्वीकृति दे दी गई, लेकिन रैस्पाडैण्ट संख्या एक ने उक्त आदेश के खिलाफ जाकर आलोच्य आज्ञा पारित करते हुये रैस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में नामांतकरण गलत व बेजा तौर पर स्वीकार किया है।शांति स्वरूप द्वारा भूमि रूपांतरण कराने से पूर्व उक्त भूमि उनके नाम खातेदारी में दर्ज थी। ऐसी अवस्था में जिला कलक्टर अलवर के आदेशा दिनांक 03.09.2015 के अनुसार भूमि वापिस श्री शांति स्वरूप के नाम खातेदारी में दर्ज करने की आज्ञा पारित करते हुए नामांतकरण तहसीलदार साहब द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार साहब ने उक्त आदेश पर भली प्रकार गौर नही किया। और उक्त आदेश व साबिक रिकार्ड के खिलाफ जाकर रैस्पाडैण्ट संख्या 1 के हक में आज्ञा पारित कर नामातंकरण स्वीकार करने में भूल की है। जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.09.2015 में उक्त भूमि में हो रहे निर्माण को भी तुडवाने का आदेश दिया गया था। लेकिन उस पर भी तहसीलदार साहब ने गौर नही किया। और बिना निर्माण ध्वस्त कराए आलौच्य नामांतकरण स्वीकार किया है। जबकि उक्त भूमि पर आज भी आज भी आर.सी.के स्तर का निर्माण मौजूद है। रैस्पाडैण्ट संख्या 1 ने श्री शांति रूवरूप जी से तथाकथित गोदनामा दिनांक 31.03.1995 फर्जी व धोखाधडी से तैयार कराया है। जिन्होने रैस्पाडैण्ट संख्या एक को कभी गोद नही लिया, ना ही इस प्रकार की कोई रस्म अदा हुई है। उक्त गोदनामा से रैस्पाडेण्ट संख्या एक को शांति स्वरूप जी की सम्पत्ति में कोई अधिकार हासिल नही होते है रैस्पाडैण्ट संख्या एक के हक में नामातंकरण गलत व बेजा स्वीकार किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 08.02.2016 तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर आपस्त फरमाया जावे व नामांतकरण संख्या 2910 निरस्त किया जाकर शांति स्वरूप पुत्र श्री श्रीचन्द महाजन के नाम नियमानुसार खातेदारी में नामांतकरण दर्ज व स्वीकार किए जाने कि आज्ञा फरमाई जावे।

रैस्पोडेन्ट नम्बर 01 द्वारा अपील मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया कि अनुवानी प्रार्थना–पत्र के टाईटल मे अप्रार्थी संख्या 01 के पिता का नाम अशोक कुमार पुत्र रमेश चन्द गुप्ता गलत दर्ज किया गया है। आशेक कुमार पुत्र रमेश चन्द की जगह अशोक दत्तक पुत्र शान्ति स्वरूप किया जाना चाहिए था। अपील का जिमन नम्बर 03 जिस तरह बयान किया गया है, गलत है, स्वीकार नही। जिमन नम्बर 03 के जबाब में निवेदन है कि उक्त आदेश की अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही जानकारी है तथा अपीलान्ट ने केवल मात्र महज मिन रेस्पोन्ट संख्या 01 को बेजा तंग वो परेशान करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की है। जिस कारण अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के दत्तक माता–पिता श्रीमति कैलाश देवी एवं श्री शान्ति स्वरूप गुप्ता जो कि अपीलान्ट के सगे बडे भाई–भाभी थे और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के सगे ताउजी व ताईजी थे ना औलाद थे तथा उन्होने मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बचपन में ही गोद ले लिया था और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बाल्यकाल से ही अपनी दत्तक माता श्रीमति कैलाश देवी एवं दत्तक पिता श्री शान्ति स्वरूप जी गुप्ता के साथ रहने लग गया था। रैस्पेडेन्ट संख्या 01 को सन 1980 में शान्ति स्वरूप जी व उनकी धर्मपत्नि श्रीमति कैलाश देवी ने गोद लिया था। जिसका गोदनामा दिनांक 31.03.1995 को स्व्य श्री शान्ति स्वरूप जी ने तहरीर व तकमील कराकर तैयार करवाया है, ना की फर्जी व धोखाधडी से तैयार करवाया गया है। जब शान्ति स्वरूप जी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को सन 1980 में गोद लिया गया था। तो समस्त सामाजिक रस्मे अदा की गई थी। समस्त बिरादरी मिलने जुलने वालों वे रिश्तेदारों के सामने रैस्पोडेन्ट संख्या 01 को गोद में लिया गया व गीत वगैरा गाये गये तथा पताशे बांटे गये तथा गोद का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया था तथा अपीलान्ट शान्ति स्वरूप जी का सगा भाई है। जिस कारण मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को गोद लेने की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.07.2018 को जानकारी होने की दिनांक गलत प्रकार से अंकित की गई है। मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 शान्ति स्वरूप जी का दत्तक पुत्र है मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को शान्ति स्वरूप जी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति अपने नाम कराने का जायज व कानूनी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हक व हकूक प्राप्त है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की जानकारी होने की दिनांक 23.08.2016 भी गलत प्रकार से अंकित की गई है। अपीलान्ट को उक्त आदेश दिनांक 08.02.2016 की जानकारी प्रारम्भ से ही है। मृतक श्री शान्ति स्वरूप जी अपीलान्ट का सगा भाई था। शे जिमन गलत है स्वीकार नही। श्री शान्ति स्वरूप जी निःसंतान फौत नही हुए थे। उन्होने मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को गोद लिया हुआ था। मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के दत्तक माता–पिता श्रीमति कैलाश देवी एवं श्री शान्ति स्वरूप गुप्ता जो की अपीलान्ट के सगे बडे भाई भाभी थे। और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के सगे ताउजी व ताईजी थे ना औलाद थे तथा उन्होने मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बाल्यकाल से ही अपनी दत्तक माता श्रीमति कैलाश देवी एवं दत्तक पिता श्री शान्ति स्वरूप जी गुप्ता के साथ रहने लग गया था, किन्तु गोद की रस्म सन 1980 में की गई थी। जिसके फोटो ग्राफ्स आज भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास मौजूद है। उस समय बकायदा गीत गवाये गये थे। पंडीतजी ने गोद की सभी रस्मे सम्पन्न कराई थी। और हवन आदि करवाया तथा पताशे आदि बंटवाये गये। जिसका गोदनामा दिनांक 31.03.1995 को स्वयं श्री शान्ति स्वरूप जी ने तहरीर व तकमील कराकर तैयार करवाया है तथा जब श्री शान्ति स्वरूप जी का स्वर्गवास हुआ तो उनकी पगडी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को ही बंधी थी। जिस पगडी रस्म की भी फोटो रेस्पोडेन्ट संख्या के पास मौजूद है। उस समय स्वयं अपीलान्ट ने भी फोटो खिचवाई थी। जिस कारण शान्ति स्वरूप जी की समस्त सम्पत्ति में केवल मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को ही कानूनी व जायज रूप से हक व हकूक प्राप्त है। तथा केवल मिन रेस्पोडेन्ट का ही हित शान्ति स्वरूप जी की समस्त सम्पत्ति मे निहित है। उक्त आदेश से अपीलान्ट के हकू किसी भी तरह से प्राभावित नही होते है। अपीलान्ट को अपील करने का हक व अधिकार नही है। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपील करने की इजाजत प्रदान नही की गई। जब मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 शान्ति स्वरूप जी का दत्तक पुत्र है तो अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने को कोई अधिकार नही है। आराजी खसरा नम्बर 673 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर राज में स्थित है। जिसे उन्होने अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन करा ली। आराजी खसरा नम्बर 673 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम सौखर की लीज डीड दिनांक 19.06.1980 को शान्ति स्वरूप पुत्र स्व. श्री चन्द अग्रवाल व अशोक कुमार गुप्ता दत्त पुत्र श्री शान्ति स्वरूप के नाम पर हुई थी तथा शान्ति रूवरूप जी के स्वर्गवास के बाद दिनांक 03.09.2015 को जिला कलक्टर अलवर के द्वारा उनके दत्तक पुत्र अशोक कुमार के नाम पर हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने श्री शान्ति स्वरूप का धोखाधडी करके फर्जी गोदनामा नही कराया था। बल्कि स्वयं शान्ति स्वरूपजी व उनकी धर्मपत्नि श्रीमति कैलाश देवी ने अशोक कुमार को गोद लिया था। तथा गोद की सभी रस्मे पूरी हुई थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने जायज कानूनी हक हकूको की बिना पर उक्त भूमि को वापिस कृषि उपयोग (रिवर्ट बैक) कराया है तथा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम पर व हक मे सही प्रकार से दर्ज हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के हक मे नामान्तकरण भी सही प्रकार से दर्ज किया गया है। तहसीलदार कठूमर ने जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 03.09.2015 के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार का दर्ज किया है। जिसके विरूद्व अपील करने का अपीलान्ट को किसी भी तरह का कोई हक व अधिकार नही है। जिस कारण अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बेजा तंग वो परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की गई हैं जो अपील खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजी रूपान्तरण से पूर्व श्री शान्ति स्वरूपजी की आराजी थी। किन्तु दिनांक 19.06.1980 को हुई लील डीड श्री शान्ति स्वरूप जी व मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम पर हुई थी। लीज डीड दिनांक 19.06.1980 को शान्ति स्वरूप पुत्र स्व श्री चन्द अग्रवाल व अशोक कुमार गुप्ता दत्तक पुत्र श्री शान्ति स्वरूप के नाम पर हुई थी। तथा शान्ति रूवरूप जी को स्वर्गवास के बाद दिनांक 03.09.2015 को जिला कलक्टर अलवर के द्वारा उनके दत्तक पुत्र अशोक कुमार के नाम पर दर्ज करने के आदेश सही प्रकार से पारित किये गये है। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार कठूमर जिला अलवर द्वारा उक्त नामान्तकरण स्वीकार होकर दर्ज किया गया है। मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के दत्तक माता–पिता श्रीमति कैलाश देवी एवं श्री शान्ति स्वरूप गुप्ता जो की अपीलान्ट के सगे बडे भाई भाभी थे। और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के सगे ताउजी व ताईजी थे ना औलाद थे। तथा उन्होने मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बचपन मे ही गोद ले लिया था। और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बाल्यकाल से ही अपनी दत्तक माता श्रीमति कैलाश देवी एवं दत्तक पिता श्री शान्ति स्वरूप जी गुप्ता के साथ रहने लग गया था। किन्तु गोद की रस्म सन 1980 में की गई थी। जिसके फोटो ग्राफस आज भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास मौजूद है। उस समय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

बकायदा गीत गवाये गये थे। पंडीतजी ने गोद की सभी रस्मे सम्पन्न कराई थी और हवन आदि करवाया तथा पताशे आदि बंटवाये गये। जिसका गोदनामा दिनांक 31.03.1995 को स्वय श्री शान्ति स्परूप जी तहरीरी व तकमील कराकर तैयार करवाया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन व मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दि0 08.02.2016 के विरूद्ध दिनांक 31.08.2016 को पेश की गयी है। जो करीब 7 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तन प्रार्थी शांति स्वरूप पुत्र श्री श्रीचन्द को जिला कलक्टर कार्यालय से दिनांक 11.01.1980 को किया गया। पत्रावली में संलग्न मुख्त्यारआम, जो सब रजिस्ट्रार कठूमर द्वारा तस्दीक किया गया है, में शांति स्वरूप द्वारा लिखा गया है। जिसमें उन्होने अशोक कुमार पुत्र शांति स्वरूप के नाम से सभी न्यायालयों में पैरवी करने हुेत अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। पत्रावली में संलग्न फैमली सेटलमेंट का अवलोकन किया गया। जिसमें अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री शांति स्वरूप दर्ज है। उक्त फैमली सेटलमेंट पर अपीलांट के हस्ताक्षर भी है। पत्रावली में संलग्न बीजडीड का भी अवलोकन किया, जो शांति स्वरूप व अशोक कुमार गुप्ता के नाम से है। जिसमें भी अशोक कुमार गुप्ता दत्तक पुत्र शांति स्वरूप दर्ज है। जिला कलक्टर अलवर के आदेश कमांक 6969–73 दि0 03.09.2015 में भी उक्त औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि को पुनः कृषि भूमि खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री शांति स्वरूप के नाम आदेश जारी किये गये है एवं अशोक कुमार के पहचान दस्तावेज यथा वोटर पहचान पत्र, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट सन् 1993, मूल निवास प्रमाण–पत्र, अग्रवाल समाज का प्रमाण दि0 05.04.95 में अशोक कुमार के पिता का नाम शांति स्वरूप गुप्ता दर्ज है। जिससे जाहिर है कि स्व0 श्री शांति स्वरूप गुप्ता का दत्तक पुत्र अशोक कुमार है। राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा–पत्र तथा नियंत्रण) जो तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा जारी किया गया है, में भी उक्त फर्म अशोक कुमार पुत्र शांति स्वरूप के नाम से दर्ज है। जिससे भी जाहिर है कि स्व0 श्री शांति स्वरूप गुप्ता का दत्तक पुत्र अशोक कुमार है। अपीलांट का शांति स्वरूप की सम्पत्ति से कोई सरोकार नहीं है। तहसीलदार कठूमर द्वारा अपीलाधीन इंतकाल जिला कलक्टर अलवर के आदेश दि0 03.09.2015 की अनुपालना में ही दर्ज व तस्दीक किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2016 इंतकाल संख्या 2910 वाके ग्राम सौंखर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर का आदेश दिनांक 08.02.2016 इंतकाल संख्या 2910 वाके ग्राम सौंखर, तसहील कठूमर यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर राज0